न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 839/2016

1. अमीलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. बनवारी
2. कृष्ण
3. बलराम
4. रामप्रताप
5. रूपराम

पिसरान सोहनलाल जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. सुरेन्द्र
7. सुधीर

पिसरान जगदीश जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 17-1-17

प्रार्थी नें अप्रार्थीगण के विरूद्ध जिरये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

प्रार्थी के नाम से चक 7 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23, मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 8, 11 ता 13, 18, 23 कुल 6.578 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 वाके चक 7 एफ बड़ा के खाता संख्या 24/17 के मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 4, 5, 7 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 2 ता 5, 8 ता 10 मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 18, 19, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 9/1 का .126, 10/1 का .126 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 20 कुल 8.550 हैक्टर के अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1.770 हैक्टर में अप्रार्थी संख्या 4 का 1.432 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 5 का 0.278 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 दोनों का 1.710 हैक्टर के खातेदार कृषक है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

चक 7 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 के पश्चिम में मुरब्बा नम्बर 42 है, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1 ता 5, 6, 15, 16, 25 में सरकारी रास्ता आम है। मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 20 की भूमि अर्थात मुरब्बा नम्बर 43 का पश्चिमी भाग अप्रार्थीगण के नाम है। व मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15 अर्थात मुरब्बा नम्बर 43 का पूर्वी भाग आवेदक के नाम है। अप्रार्थी के नाम की भूमि पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता व दादा सोहनलाल के नाम से थी और सोहनलाल की मृत्यु पर उक्त भूमि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गई है। आवेदक व अनावेदक के पिता के जीवनकाल में ही आवेदक मुरब्बा नम्बर 43 का पूर्वी भाग जो आवेदक का था के लिये रास्ता नहीं था इसलिये आवेदक नें अनावेदक की भूमि मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3 में रास्ता भूमि के बदले में किला नम्बर 4, 7, 14 में 1–1 बिस्वा भूमि अनावेदक किला नम्बर 3, 8, 13 से चिपती हुई दे दी थी और अनावेदक का पिता अपनी भूमि के साथ किला नम्बर 4, 7, 14 की 3 बिस्वा भूमि काश्त करनें लग गया और आवेदक किला नम्बर 1 ता 3 में 1–1 बिस्वा में रास्ता का उपयोग अपनी भूमि काश्त करनें लग गया और आज तक इसी अनुसार दोनो पक्ष काबिज है। अनावेदक के पिता के देहान्त होनें पर उक्त भूमि अनोवदक को प्राप्त हो गई है। और इसी अनुसार आवेदक नें रास्ता की भूमि छोड़ रखी है। व किला नम्बर 4, 7, 14 की 1–1 बिस्वा भूमि अपनी भूमि के साथ अनावेदक काश्त कर रहे है। इस सम्बंध में आवेदक व अनावेदक के पिता के मध्य रास्ता बाबत दिनांक 02.09.1987 को लिखित इकरारनामा भी हुई थी।

अनावेदक की कृषि भूमि सयुक्त है और अनावेदक का परिवार बढ़ गया है। इसलिये अनावेदक नें एक राय होकर आवेदक को किला नम्बर 1 ता 3 में चल रहे रास्ता का उपयोग न करनें का कहा तो आवेदक नें रास्ता के बदले भूमि दी हुई होना व इस रास्ता के अलावा आवेदक की भूमि के लिये ओर कोई रास्ता न होने का कहा तो अनावेदक नें आवेदक की बात अनसुनी कर दी और आवेदक को धमकी दी कि किला नम्बर 1 ता 36 में चल रहे रास्ता को बन्द करेगें।

आवेदक नें अनावेदक को रास्ता की भूमि के बदले में 3 बिसवा भूमि किला नम्बर 4, 7, 14 में दे रखी है। और अनावेदक इस भूमि पर काबिज है। परन्तु अनावेदक जानबुझकर किला नम्बर 1 ता 3 में चल रहे रास्ता को बन्द करनें की कोशिश में है। रास्ता बन्द करनें से आवेदक अपनें खेत में जानें से मुहरूम हो जावेगा। और अपनी भूमि काश्त नहीं कर पायेगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नम्बर 7 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3 में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A7/3

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 28296 दिनांक 10.11.2016 के द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट को भिजवाया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा नजदीक अन्य कोई स्वीकृत व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस मुरब्बा में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। मुरब्बा नम्बर 43 के साथ लगता मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 5 में स्वीकृत रास्ता है। व मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1, 2, 3 में मौके पर रास्ता चल रहा है।

अप्रार्थीगण को विधिवत तामिल उपरान्त भी कोई असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आनेंके के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरान बहस सुयोग्य अधिवक्ता नें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा नजदीक अन्य कोई स्वीकृत व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक नम्बर 7 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 ता 3 में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भूमि से सम्बंधित कोई इकरार किया है वह तभी स्वीकार हो सकता है, जब दोनो पक्ष राजीनामें के द्वारा भूमि का लेनदेन स्वीकार किया हो परन्तु प्रकरण में ऐसा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपनें स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 17-1-17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर